

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा-13(1) के  
अधीन उपस्थिति के लिए नोटिस

माननीय न्यायालय.....के न्यायालय में  
निम्न मामले में :

.....शिकायतकर्ता

बनाम

.....प्रत्यर्थीगण

मुझं० /

प्रेषिति :

अतः प्रार्थी ने घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की  
धारा.....के अधीन आवेदन फाईनल किया है।

एतदद्वारा आपको.....दिन.....का.....20  
को.....बजे.....दिन में व्यक्तिगत रूप से या इस न्यायालय के सम्यक रूप से  
प्राधिकृत अधिवक्ता के जरिये इस न्यायालय में कारण दर्शाने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया  
जाता है कि- क्यों आपके विरुद्ध आवेदक द्वारा दावा किया गया अनुतोष स्वीकृत नहीं किया जाना  
चाहिए, असफल होने पर न्यायालय आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

मेरे हस्ताक्षर के अधीन और न्यायालय की मुहर के अधीन.....दिन.....  
20.....को प्रदान किया गया।

न्यायालय की मोहर

हस्ताक्षर